सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख (मैनुअल–5)

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक: 88 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–07 / 2005 दिनांक 25 जनवरी, 2024

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के पत्र संख्याः 583, दिनांक 21.12.2023 के माध्यम से प्राप्त संस्तुति के आधार पर चयनित श्री मोहित पंवार, (अनुक्रमांक–12078840163, श्रेणी–सामान्य), पुत्र श्री सुजान सिंह पंवार, म0न0 2, पाली, पो0ओ0 बसुकेदार को सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में संवीक्षक के पद, लेवल–5, ₹29200–92300 पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

1. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। यदि स्वास्थ्य परीक्षण अथवा चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
2. उपर्युक्त अभ्यर्थी संवीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगा।
3. उपर्युक्त अभ्यर्थी को तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
4. उपर्युक्त अभ्यर्थी को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत / देय मंहगाई एवं अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे।
5. उपर्युक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण–पत्र / प्रपत्र भी प्रस्तुत करने होंगे:–
    1. अधिकृत शासकीय चिकित्सक का स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
    2. समस्त चल–अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसका वह स्वामी हो।
    3. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के संबंध में घोषणा–पत्र तथा संघ अथवा राज्य की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण–पत्र।
    4. वैवाहिक स्थिति। यदि विवाहित है तो एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने की घोषणा / शपथ–पत्र।
    5. दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सक्रिय सेवा में हों, किन्तु उनके संबंधी न हों, के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र।
    6. अंतिम स्कूल अथवा संस्था का चरित्र प्रमाण–पत्र।
    7. किसी न्यायालय में कोई अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा पत्र।
    8. समस्त शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र, उत्तराखण्ड में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में जीवित पंजीकरण से संबंधित प्रमाण–पत्र, लागू आरक्षण श्रेणी / उप आरक्षण श्रेणी से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी होने की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा देय अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।
    9. लिखित रूप में एक "under taking" कि यदि पुलिस सत्यापन, चरित्र प्राग्वृत सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात उसे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नही पाया जाता है तो यह नियुक्ति निरस्त समझी जाए। जिसके लिए वह किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
    10. चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन फार्म आदि भरकर (संलग्न)।

संबंधित अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि उसे नियुक्ति स्वीकार्य नहीं है और उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।

संलग्नः– यथोपरि।

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक

संख्याः 88 (1) सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–07/2005, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून को उनके पत्र संख्याः 583, दिनांक 21. 12.2023 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ वित अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. संबंधित अभ्यर्थी को।
8. संबंधित अभ्यर्थी की निजी पत्रावली हेतु।
9. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(आशिष कुमार त्रिपाठी)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक: 1282 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–72 / 2007 दिनांक 28 दिसम्बर, 2023

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–3 में अंकित पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित है, से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा गया और पाया गया कि परिवीक्षा अवधि में इनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा है। अतः उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों के स्थायीकरण नियमावली–2002 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्नांकित कार्मिकों द्वारा उनके नाम के सम्मुख कॉलम–5 में अंकित तिथि को परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है:–

क.सं.	कार्मिक का नाम	पदोन्नति का पद	पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि
1	2	3	4	5
01.	श्री रणजीत सिंह बुदियाल	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	07.12.2020	07.12.2022
02.	श्री जगदीश सिंह पटवाल	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	17.06.2021	17.06.2023
03.	श्री विनोद कुमार	प्रशासनिक अधिकारी	01.12.2020	01.12.2022
04.	श्री दिनेश राणा	प्रशासनिक अधिकारी	03.03.2021	03.03.2023
05.	श्री गोपाल रामं	प्रशासनिक अधिकारी	17.06.2021	17.06.2023

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक

संख्या: 1282 (1) / सू.एवंलो.सं.वि0.(प्रशा.प्र.)–72 / 2007, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आव"यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. संबंधित कार्मिक को।
3. संबंधित कार्मिक की निजी पत्रावली हेतु।
4. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(आशिष कुमार त्रिपाठी)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail:infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.inदूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 699 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–44 / 2007 दिनांक : 26 जून, 2023

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के फोटोग्राफर, श्री शेखर चन्द्र जोशी को, नियमानुसार चयनोपरान्त, फोटो / फिल्म अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में लेवल–7, वेतनमान ₹ 44900–142400, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

2. श्री शेखर चन्द्र जोशी की पदोन्नति श्री केवल सिंह, फोटो / फिल्म अधिकारी के दिनांक 30 जून, 2023 को सेवानिवृत्ति होने के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाले एक परिणामी रिक्ति के अधीन दिनांक 01 जुलाई, 2023 अथवा उसके उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री शेखर चन्द्र जोशी को फोटोग्राफर पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक

संख्या 699 (1) / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–44 / 2007, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
4. समस्त विभागीय अधिकारी।
5. निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित की कृपया इसका प्रकाशन आगामी प्रकाशित होने वाले गजट में करते हुए उसकी 20 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित अधिकारी को।
8. सम्बन्धित अधिकारी की निजी पत्रावली हेतु।
9. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(आशिष कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail:infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 700 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–27 / 2011 दिनांक : 26 जून, 2023

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित वरिष्ठ सहायकों को, नियमित चयनोपरान्त, प्रधान सहायक, वेतन मैट्रिक्स में लेवल–6, वेतनमान ₹35400–112400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है:–

1. श्री अनुज नैनवाल
2. श्रीमती सुषमा
3. श्री भरत सिंह रावत

2 उपरोक्त पदोन्नति दिनांक 01 जुलाई, 2023 अथवा उसके उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो उपरोक्त कार्मिकों को वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक

संख्या 700 (1) / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–27 / 2011, तद्दिनांकित्।
प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
3. समस्त विभागीय अधिकारी।
4. लेखा प्रभाग,सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कार्मिक को।
6. सम्बन्धित अधिकारी की निजी पत्रावली हेतु।
7. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(आशिष कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 701 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–43 / 2007 दिनांक : 26 जून, 2023

कार्यालय आदेश

तात्कालिक प्रभाव से सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के कनिष्ठ कैमरामैंन, श्री विकास चौहान को, नियमित चयनोपरान्त, फोटोग्राफर, लेवल–6, वेतनमान ₹ 35400–112400 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है:–

2. उपरोक्त पदोन्नति दिनांक 01 जुलाई, 2023 अथवा उसके उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री विकास चौहान को कनिष्ठ कैमरामैंन के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक, सूचना

संख्या 701 (1) / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–43 / 2007, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
3. समस्त विभागीय अधिकारी, मुख्यालय।
4. प्रभारी अधिकारी, राजभवन सूचना परिसर, देहरादून।
5. लेखा प्रभाग, सूचंना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. संबंधित कार्मिकों को।
7. संबंधित कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।
8. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(आशिष कुमार त्रिपाठी)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail:infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 274 (L) /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–34 / 2007 दिनांक : 15 मार्च, 2024

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के प्रधान सहायक श्री विजय कुमार को, नियमित चयनोपरान्त, प्रशासनिक अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में लेवल–7, वेतनमान ₹44900–142400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

2. श्री विजय कुमार, प्रधान सहायक की पदोन्नति श्री विनोद कुमार, प्रशासनिक अधिकारी के पदोन्नत पद (वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त रिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो उपरोक्त कार्मिकों को प्रधान सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

ह0/
(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक

संख्या 274(L) (1) / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–34 / 2007, तद्दिनांकित्।
प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
3. समस्त विभागीय अधिकारी।
4. लेखा प्रभाग,सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कार्मिक को।
6. सम्बन्धित अधिकारी की निजी पत्रावली हेतु।
7. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(आशिष कुमार त्रिपाठी)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail:infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135-2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 274(8) /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)-34/2007 दिनांक : 15 मार्च, 2024

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित प्रशासनिक अधिकारियों को, नियमित चयनोपरान्त, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8, वेतनमान ₹47600-151100 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है:-

1. श्री विनोद कुमार
2. श्री दिनेश सिंह राणा
3. श्री गोपाल राम

2. उपरोक्त कमांक-1 पर अंकित कार्मिक श्री विनोद कुमार की वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद पर पदोन्नति तात्कालिक प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी तथा कमांक-2 तथा कमांक-03 पर अंकित कार्मिकों की पदोन्नति श्री मनोज कुमार शुक्ला तथा श्री रणजीत सिंह बुदियाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के पदोन्नत पद (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी) पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त रिक्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो उपरोक्त कार्मिकों को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक

संख्या 274 (8) /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)-34/2007, तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. विशेष प्रमुख सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
4. समस्त विभागीय अधिकारी।
5. निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित की कृपया इसका प्रकाशन आगामी प्रकाशित होने वाले गजट में करते हुए उसकी 20 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित अधिकारी को।
8. सम्बन्धित अधिकारी की निजी पत्रावली हेतु।

(आशिष कुमार त्रिपाठी)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail:infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 274 (A) /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–34/2007 दिनांक : 15 मार्च, 2024

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को, नियमित चयनोपरान्त, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में लेवल–10, वेतनमान ₹56100–177500 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है:–

1. श्री मनोज कुमार शुक्ला
2. श्री रणजीत सिंह बुदियाल

उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश से आवंटित ज्येष्ठ कार्मिक द्वारा उत्तराखण्ड, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो उपरोक्त कार्मिकों को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक

संख्या 274(A) (1) /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–34/2007, तद्दिनांकित्।
प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
4. समस्त विभागीय अधिकारी।
5. निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित की कृपया इसका प्रकाशन आगामी प्रकाशित होने वाले गजट में करते हुए उसकी 20 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. लेखा प्रभाग,सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित अधिकारी को।
8. सम्बन्धित अधिकारी की निजी पत्रावली हेतु।

(आशिष कुमार त्रिपाठी)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स: 266233

पत्रांकः / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–05 / 2024 दिनांक 18 मार्च, 2024

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के संवीक्षक पदधारकों की "अन्तिम ज्येष्ठता' निर्धारित करने के उद्देश्य से 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002' में निहित प्रावधानुसार संबंधित कार्मिकों की पारस्परिक **"अनन्तिम ज्येष्ठता सूची"** उनके मध्य निम्नानुसार परिचालित की जा रही है:–

क्र.सं.	संवीक्षक का नाम	जन्म तिथि	संवीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री संजय कुमार	13.03.1971	01.09.2020
2.	श्री राजीव कोली	31.12.1994	22.04.2022
3.	श्री मोहित पंवार	23.06.1994	17.02.2024

उपरोक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित अपनी स्थिति / स्थान के बारे में किसी कार्मिक को कोई आपत्ति हो तो वह अपना लिखित प्रत्यावेदन, संगत साक्ष्यों / अभिलेखों सहित, इस आदेश के जारी होने की तिथि से **एक माह** के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दें। निर्धारित समयावधि के अन्दर कोई प्रत्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि इस संबंध में किसी कार्मिक को कोई आपत्ति नहीं है और संबंधित कार्मिकों की ज्येष्ठता अन्तिम रूप से निर्धारित कर दी जायेगी।

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक

संख्याः284 (1) / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–05 / 2024, तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त विभागीय अधिकारी, मुख्यालय।
2. नोटिस बोर्ड / विभागीय वेबसाइट हेतु।
3. संबंधित कार्मिकों को।

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांकः 826 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–22 / 2010 दिनांक 31 जुलाई, 2023

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्याः–345 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–22 / 2010, दिनांक 27 मार्च, 2023 के माध्यम से उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 में निहित निर्देशों के अनुसार सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून में कार्यरत फोटोग्राफरों / कैमरामैनों की पारस्परिक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची परिचालित करते हुए आपत्ति आमंत्रित की गयी थी, जिसके विरूद्ध निम्नांकित कर्मचारियों से आपत्तियॉं प्राप्त हुई हैं:–

1. श्री ललित मोहन, कैमरामैंन
2. श्री दिपेन्दर सिंह, कैमरामैंन
3. श्री राकेश कुमार, फोटोग्राफर
4. श्री सुधीर कुमार, फोटोग्राफर

2. विभाग के कैमरामैंन श्री ललित मोहन तथा श्री दिपेन्दर सिंह द्वारा अपने प्रत्यावेदन, दिनांक 22.04.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा माह दिसम्बर, 2018 में कैमरामैंन के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया जबकि श्री चन्द्र बल्लभ द्वारा माह सितम्बर, 2019 में फोटोग्राफर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया है। अतः उपरोक्त के अनुसार वर्ष 2019 वाला अभ्यर्थी वर्ष 2018 वाले अभ्यर्थी से किस आधार पर वरिष्ठ हो सकता है। उपरोक्त स्थिति का स्वतः सज्ञान लेने की अपेक्षा की गई है।

इसक्रम में उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा फोटोग्राफर तथा कैमरामैंन के सीधी भर्ती के 03–03 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु दिनांक 30.06.2015 को उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया था। उल्लिखित अधियाचन के कम में फोटोग्राफर एवं कैमरामैंन के पदों को भरे जाने हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 29.04.2018 को एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करते हुए श्रेष्ठता सूची जारी की गयी (विज्ञप्ति संख्याः 995, दिनांक 24.07.2018)। उक्त श्रेष्ठता सूची में श्री चन्द्र बल्लभ का नाम रैंक–2 (प्राप्तांक 55.25), श्री ललित मोहन का नाम रैंक–3 (प्राप्तांक 54.25) तथा श्री दीपेन्दर सिंह का नाम रैंक–4 (प्राप्तांक 50.50) पर अंकित है। इस प्रकार श्री चन्द्र बल्लभ, श्री ललित मोहन एवं श्री दिपेन्दर सिंह से श्रेष्ठता कम में ऊपर है। चूंकि उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के प्रस्तर–8(2)(क) के अनुसार सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसे यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखायी गयी हो"। अतः संगत ज्येष्ठता नियमावली से पोषित न होने के कारण श्री ललित मोहन तथा श्री दीपेन्दर सिंह का उपरोक्त अनुरोध ग्राह्य / स्वीकार्य नहीं है।

3. श्री राकेश कुमार, फोटोग्राफर द्वारा अपने प्रत्यावेदन, दिनांक 24.04.2023 के माध्यम से अवगत कराया है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनकी नियुक्ति तिथि त्रुटिवश दिनांक 21 अगस्त, 2019 अंकित

है, जबकि उनके द्वारा फोटोग्राफर के पद पर दिनांक 22.08.2019 को कार्यभार ग्रहण किया गया है। अतः उनकी नियुक्ति तिथि दिनांक 22.08.2019 अंकित किये जाने की अपेक्षा की गई है।

इसक्रम में श्री राकेश कुमार, फोटोग्राफर के उक्त अनुरोधानुसार संबंधित की फोटोग्राफर पद पर नियुक्ति का विभाग स्तर पर परीक्षण किया गया और पाया गया कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार श्री राकेश कुमार की फोटोग्राफर के पद पर नियुक्ति तिथि दिनांक 22.08.2019 है। अतः संबंधित के अनुरोधानुसार उक्त टंकण त्रुटि को ठीक कर लिया गया है।

इसके साथ ही फोटोग्राफर, श्री राकेश कुमार तथा श्री सुधीर कुमार द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है कि ज्येष्ठता सूची में उनका नाम क्रमशः सातवें तथा आठवें स्थान पर क्रमांकित किया गया है जबकि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार उनका क्रमांक ज्येष्ठता सूची में श्री चन्द्र बल्लभ, फोटोग्राफर से ऊपर आना अपेक्षित है। क्योंकि श्री चन्द्र बल्लभ के सीधी भर्ती से फोटोग्राफर पद पर विभाग में आने से पूर्व ही उनके द्वारा फोटोग्राफर पद पर पदोन्नति प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण कर लिया था।

इसक्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा श्री चन्द्र बल्लभ, श्री ललित मोहन एवं श्री दीपेन्दर सिंह का चयन भर्ती वर्ष 2018–19 में किया गया है तथा श्री राकेश कुमार तथा श्री सुधीर कुमार की फोटोग्राफर के पद पर पदोन्नति भर्ती वर्ष 2019–20 में हुई है। चूंकि श्री चन्द्र बल्लभ, श्री ललित मोहन एवं श्री दीपेन्दर सिंह से श्रेष्ठता क्रम में ऊपर हैं तथा उनका चयन वर्ष भी श्री राकेश कुमार तथा श्री सुधीर कुमार के पूर्व का है। अतः श्री राकेश कुमार एवं श्री सुधीर कुमार का अनुरोध ग्राह्य/स्वीकार्य नहीं है।

उपरोक्त के आलोक में उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 में निर्धारित प्रावधानुसार सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के क्रमांक–04 से क्रमांक–08 तक के फोटोग्राफर/कैमरामैंन पदधारकों की पारस्परिक ज्येष्ठता निम्नानुसार अंतिम रूप से निर्धारित की जाती है:–

क्र.सं.	फोटोग्राफर/कैमरामैंन का नाम	जन्म तिथि	फोटोग्राफर/कैमरामैंन के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
4.	श्री चन्द्र बल्लभ, फोटोग्राफर	15.06.1979	06.09.2019
5.	श्री ललित मोहन, कैमरामैंन	07.05.1978	03.12.2018
6.	श्री दिपेन्दर सिंह, कैमरामैंन	26.04.1982	22.12.2018
7.	श्री राकेश कुमार, फोटोग्राफर	21.09.1978	21.08.2019
8.	श्री सुधीर कुमार, फोटोग्राफर	10.06.1978	22.08.2019

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक

संख्याः 826 (1)/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–22/2010, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त विभागीय अधिकारी, मुख्यालय।
2. संबंधित कार्मिकों को।
3. सबंधित कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक